146

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4579—पीबीआर / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 26—10—2013 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल प्रकरण कमांक 09 / निगरानी / 2011—11.

मुनीर रजा वल्द शकील रजा
निवासी जूनियर एच.आई.जी.—1 /
सरस्वती नगर, भोपाल ....आवेदक

विरूद्ध

सैयद केसर रजा जैदी वल्द जाफर रजा जैदी
मृतक द्वारा वारिसान—
1— श्रीमती शहाना जैदी पत्नी स्व. सैयद केसर रजा
2— श्रीमती कशिश बातुल पुत्री स्व. सैयद केसर रजा
पत्नी अब्बास जैदी
3— कुमारी मरियम जैदी पुत्री स्व. सैयद केसर रजा
नाबालिक संरक्षक माता श्रीमती शहाना जैदी
पत्नी स्व. सैयद केसर रजा
निवासीगण म.नं. 82, ग्राम प्रेमपुरा
भदभदा रोड, वन विहार के पास, भोपाल ....अनावेदकगण

श्रीमती हेमा, अभिभाषक, आवेदक
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 20/2/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—10—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2 / प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा हिबानामा के आधार पर ग्राम चूनाभट्टी स्थित भूमि खसरा कमांक 52, 53 / 1 रकबा 0.31 एकड़ के नामान्तरण हेतु तहसीलदार, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–4–2006 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया । अदम पैरवी में खारिज प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु आवेदक द्वारा संहिता की धारा 35 (3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–5–10 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, राजधानी परियोजना टी.टी. नगर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 57/अपील/09–10 दर्ज कर दिनांक 20–9–2010 को आदेश पारित कर अपील समय बाह्य होने से निरस्त की गई, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर, जिला भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । कलेक्टर द्वारा दिनांक 26–10–2013 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा विस्तृत लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के 3 वर्ष 8 माह पुराने आदेश को निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी, अपितु अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 29–5–2010 के विरूद्ध अपील समय–सीमा के अन्दर प्रस्तुत की गई थी, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने समय बाह्य मानकर निरस्त की है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है ।

(2) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में कई बार सम्पर्क किया गया लेकिन हमेशा यही कहा गया कि आवेदन पत्र मिल नहीं रहा है, खोजबीन की जा रही है । लोक सूचना अधिकारी/तहसीलदार ने अपने पत्र कमांक 463 दिनांक 26–3–10 से प्रथम अपीलीय (लोक सूचना) अधिकारी/कलेक्टर को भी इसी आशय की सूचना दी गई है ।

(3) आवेदक द्वारा दिनांक 26–2–04 को नामांतरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और तहसील न्यायालय ने उसकी अनुपस्थिति में 1 साल 7 माह पश्चात प्रथम आदेशिका दिनांक 23–9–05 को लिखी गई थी । तहसील न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23–9–05, 20–2–06, 27–3–06 एवं 24–4–06 तथा पूरे प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को एक बार भी नियत पेशी दिनांक की सूचना तहसील न्यायालय द्वारा नहीं दी गई है और पूरी कार्यवाही आवेदक की अनुपस्थिति में की गई है । ऐसी स्थिति में यह

विचारणीय है कि आवेदक को नियत पेशी दिनांक की सूचना नहीं होने पर वह प्रकरण में कथित नियत दिनांक को कैसे उपस्थित होता । तहसील न्यायालय द्वारा विधिक दायित्वों का पालन किये बिना आदेश पारित किया गया है, इस कारण उनका आदेश विधि शून्य था और ऐसे आदेश से संबंधित प्रकरण को संहिता की धारा 35 (3) के अन्तर्गत पुर्नस्थापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार करने की तहसील न्यायालय की विधिक बाध्यता थी, जिसे उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया है । इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 24–4–06 को आवेदक को अनुपस्थित बताकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है, जबकि रीडर द्वारा सुनवाई के लिए नियत मामला अनुपस्थिति की दशा में खारिज नहीं किया जा सकता है । इस विधिक बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विचार किये आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) राजस्व अभिलेखों को अद्यतन रखने का उत्तरदायित्व राजस्व न्यायालयों का है, अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण गुण–दोष के आधार करने का तहसील न्यायालय का विधिक दायित्व था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया । इस आदेश को अपास्त कर प्रकरण को पुर्नस्थापित करने का पर्याप्त हेतुक था । तहसील न्यायालय द्वारा पारित नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एवं अवैधानिक आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत की थी, जिसे अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

(5) आवेदक द्वारा प्रकरण अंतरित किये जाने के संबंध में अपर आयुक्त के समक्ष संहिता की धारा 29 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को कार्यवाही स्थगित रखना चाहिए थी, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर आदेश पारित करने मे विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है ।

(6) अधीनस्थ न्यायालय ने अपर तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–5–10 को पारित आदेश के इस बिन्दु पर अपना कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि अदम पैरवी में प्रस्तुत प्रकरण को तीन वर्ष हो चुके हैं । विविध प्रकार का प्रकरण होने से अब इसमें संहिता की धारा 35(3) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है । अतः संहिता की धारा 35(3) का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है । आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में लेख किया है

कि संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र, विविध प्रकार का प्रकरण न होते हुए नामांतरण का प्रकरण होता है । संहिता की धारा 35 (3) में स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 35 (2) के अंतर्गत पारित आदेश की जानकारी के 30 दिन के अन्दर आवेदक उस आदेश को अपास्त करने का आवेदन पत्र दे सकता है । प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि नामांतरण प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–4–06 की उसे प्रथम बार जानकारी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 24–4–10 को प्राप्त होने पर हुई । आदेश की जानकारी प्राप्त होते ही आवेदक ने अपर तहसीलदार को 30 दिन के अन्दर दिनांक 24–5–2010 को संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत समयावधि में शपथ पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया था । ऐसी स्थिति में अपर तहसीलदार का विधिक दायित्व था कि वे सर्वप्रथम उक्त प्रकरण को पुर्नस्थापित करते एवं उसके उपरांत ही कोई अग्रिम कार्यवाही करते, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर, नामांतरण प्रकरण को विविध प्रकरण मानकर जिस आधार पर निरस्त किया गया है, जो संहिता के प्रावधानों के विपरीत एवं विधि शून्य है ।

(7) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये थे, किन्तु उनके द्वारा उक्त न्याय दृष्टान्तों पर सकारात्मक दृष्टिकोण न अपनाते हुए निगरानीधीन आदेश में उनका उल्लेख तक नहीं किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण, अवैध एवं मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(8) अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु पर विचार नहीं किया कि अपर तहसीलदार को संहिता की धारा 35(3) के आवेदन पत्र पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए वास्तविक न्याय करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है । इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को यथावत रखकर संहिता की धारा 35(3) के उद्देश्यों के विपरीत निगरानीधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2000 आर.एन. 177, 1985 आर.एन. 377, 1984 आर.एन. 210, 1982 आर.एन. 176, 1977 आर.एन. 89, 1992 आर.एन. 24, 1989 आर.एन. 124, 2007 (1) विधि भास्कर 91 (उच्चतम न्यायालय), ए.आई.आर. 1967 (एस.सी.)1269 तथा 1967, 1996

आर.एन. 100 (उच्च न्यायालय), 1988 आर.एन. 187 (उच्च न्यायालय) एवं 1997 आर.एन. 363 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में संलग्न तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रकरण में रूचि नहीं लेने एवं वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 24–4–06 को अदम पैरवी में खारिज किया है, उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु आवेदक द्वारा लगभग 3 वर्ष बाद संहिता की धारा धारा 35 (3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 29–5–10 को आदेश पारित कर अदम पैरवी में खारिज प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने की कार्यवाही तीन वर्ष पश्चात किये जाने के कारण आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील भी स्पष्ट रूप से समय बाह्य थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की अपील समय बाह्य मानकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । आवेदक का यह दायित्व था कि वह समय–समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण की कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त करते, किन्तु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि:–

> ''धारा 5–विलंब–सद्भाविक–अर्थ–कार्यवाही में अनुपस्थिति तथा अपने काउन्सेल से संपर्क करने का कभी प्रयास नहीं किया अथवा मामले के भाग्य के विषय में जॉच करने का कोई कदम नहीं उठाया–पक्षकारों का यह आचरण उनकी ओर से गंभीर ढील, उपेक्षा और निष्क्रियता प्रकट करता है–इस सद्भाविक नहीं कहा जा सकता ।''

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी भी निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया है । इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी में भी ऐसा कोई आधार नहीं दर्शाया गया है, जिससे निगरानी में हस्तक्षेप किया जाये । उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदक की ओर से उठाये गये आधार

मान्य किये जाने योग्य नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर